

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग


क्रमांक: प.1(67)वित्त/राजस्व/2021

जयपुर, दिनांक:—20.07.2021

आदेश

विषय:—आबकारी दुकानों के खुलने का समय।

कोविड-19 की दूसरी लहर के दृष्टिगत वित्त (राजस्व) विभाग द्वारा दिनांक 08.06.2021 को जारी दिशा निर्देशों के अतिक्रमण में आबकारी दुकानों के खुलने का समय मद्य संयम दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक अनुमत किया जाता है। गृह विभाग द्वारा जारी दिनांक 10.07.2021 त्रिस्तरीय जन-अनुशासन दिशा-निर्देश 4.0 के बिन्दु संख्या 6 पर उल्लेखित कोविड अनुकूल अनुशासन का ध्यान रखना होगा।


(टी. रविकान्त)

शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:—

1. सचिव, राज्यपाल महोदय।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/परिवहन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
7. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर।
8. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
9. आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त महानिरीक्षक रेंज, पुलिस।
12. समस्त जिला कलक्टर।
13. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
14. कार्यकारी निदेशक, आरएसबीसीएल, जयपुर।
15. महाप्रबंधक, आरएसजीएसएम, जयपुर।
16. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
17. रक्षित पत्रावली।



शासन सचिव, वित्त (राजस्व)